संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 863.15 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

हरियाणा राज्य में 27 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (25 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और पांच अकार्यरत कंपनियां थी। इनमें से, हरियाणा सरकार ने 25 सा.क्षे.उ. (23 कार्यरत और दो निष्क्रिय) में निवेश किया है। 31 मार्च 2019 को 32 सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (प्रदत्त पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी) ₹ 1,29,536.19 करोड़ था। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान 15 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 21,117.55 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.1, 1.5, 1.6, 4.1, 4.4 तथा 4.6)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनमें हरियाणा सरकार ने निवेश किया था, में से 19 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 16 लेखाओं ने लाभ दर्शाया। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल एक सा.क्षे.उ. ने ₹ 2.15 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत अनुमत केवल 25 प्रतिशत इक्विटी की बजाय ₹ 7,785 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

(अनुच्छेद 1.15, 1.21.4, 4.8.1 तथा 4.19)

2. विद्युत क्षेत्र

'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2017-19 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(अनुच्छेद 2.6)

वर्ष 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई 32 परियोजनाओं में से 30 को 3 से 98 माह की देरी के साथ पूरा किया गया। इसके फलस्वरूप, इक्विटी पर रिटर्न की वसूली तथा देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ मूल्य की प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़ की राशि के मूल्यह्रास को स्थगित कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.7.2.1)

कंपनी ने 2015-18 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रसारण प्रणाली उपलब्धता (टी.एस.ए.) के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इसके कारण, पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया।

(अनुच्छेद 2.8.3)

परियोजना के कार्यान्वयन की खराब गति के कारण, कंपनी सस्ती दरों पर उपलब्ध विश्व बैंक ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ महँगी धन व्यवस्था का सहारा लिया, जिसकी लागत ₹ 24.63 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के रूप में ₹ 31.32 लाख वहन करने पड़े।

(अनुच्छेद 2.10.2)

बैंक गारंटी की शर्तों की अवहेलना करके कंपनी ने गारंटी देने वाले दो बैंकों में से एक को सभी अग्रिम भुगतान जारी कर दिए, परिणामस्वरूप, यह बैंक गारंटी जारी करने वाले एक बैंक से ₹ 9.57 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.10.5)

कंपनी द्वारा 'सकल राजस्व आवश्यकता' प्रस्तुत करने में देरी हुई जिसके वजह से 2014-15 से 2017-18 के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रसारण प्रभारों के अंतिमकरण में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी लघु अवधि ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ के प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की असमकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग, मूल्यह्रास और ब्याज माफी के विरूद्ध अग्रिम के लाभ न देने से संबंधित कंपनी की अक्षमता के कारण 2014-19 के दौरान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.12.1)

प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की अप्राप्ति, लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरूद्ध मध्यावधि ऋण प्राप्त करने, सकल राजस्व आवश्यकता दाखिल करने में देरी, समय पर होल्डिंग लागत का दावा न करने और कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने जैसी अक्षमताओं के कारण कंपनी की लाभप्रदता 2014-19 के दौरान ₹ 70.08 करोड़ तक बुरी तरह प्रभावित हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.12.2)

अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल की गई हैं, जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन में उन कमियों को प्रकट करती है, जिनके विशिष्ट वित्तीय प्रभाव थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 2016-17 के दौरान कोयले के कम उठान के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 27.29 करोड़ का भुगतान किया, क्योंकि इसने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की संशोधित परिचालन आवश्यकता के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा में कमी के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

(अनुच्छेद 3.1)

- कंपनी ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के लिए ₹ 9.35 करोड़ मूल्य के जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की अविवेकशील खरीद की।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने अनुबंध में सहमति के रूप में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की गणना के आधार को बदल दिया और ठेकेदार को ₹ 1.97 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

(अनुच्छेद 3.3)

- कंपनी ने ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. केबल स्वीकार किए जो खरीद आदेश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.4)

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुरूप प्रतिभूति जमा न रखने के कारण कंपनी को ₹ 72.50 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.5)

उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण और बाद में उनके पारंपरिक रूपांतरण पर ₹ 11.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.6)

- कार्यात्मक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता के कारण कंपनी को ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.7)

3. विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय 5 में विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगम के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करने वाली अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने जन संपर्क एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को नजरअंदाज कर दिया और पुन: निविदाकरण में दूसरे बोलीदाता को काम सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.1)

- मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वित्तपोषण के लिए सस्ता कैश क्रेडिट/टर्म ऋण की उपलब्धता के बावजूद कंपनी ने अधिक ब्याज वाला हुडको ऋण लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 5.2)

- कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटी को बाधा रहित साइट प्रदान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान प्रक्रिया को स्थगित किया गया जिससे ₹ 45.96 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.3)

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने अग्रिम आयकर जमा नहीं किया और आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 5.4)

- कंपनी ने अधिशेष निधियों को ब्याज की अधिकतम उपलब्ध दरों पर निवेश नहीं किया और ₹ 40.41 लाख का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 5.5)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम

- हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से कस्टम मिल्ड राइस पर ब्याज प्रभार का दावा करने में देरी की और उसे ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 5.6)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- एक मिलर, जिसे खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) 2017-18 के लिए फतेहाबाद की जिला मिलिंग समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, को धान आवंटित किया गया था। इस मिलर ने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के कस्टम मिल्ड राइस का दुरुपयोग किया।

(अनुच्छेद 5.7)